➢ **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :–**

ग्राम पंचायतो में ओ० डी० एफ० प्लस गतिविधियों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आर0आर0सी का निर्माण कार्य किया गया है। ई–रिक्शा माध्यम से घर–घर कूडा कलैक्शन किया जाता है विभिन्न मजरों में रोस्टर के अनुसार कूड़ा कलेक्शन कराया जाता है। जिसको आर0आर0सी0 पर ले जाकर अलग–अलग किया जाता है। गीले कूड़े के निस्तारण हेतु खाद गढढे का निर्माण किया गया है। गीला कूड़ा (पत्ते, सब्जियों के छिलके, गोबर आदि) गीला कूड़ा खाद गड्ढों में डाला जाता है जो 3 से 6 माह की अवधि मे खाद में बदल जाता है जिसे ग्रामीणों को विक्रय किया जा सकता है एवं सूखा कूड़ा (प्लास्टिक, पॉलिथीन, काँच आदि) अलग–अलग किया जा रहा है। सूखा कूड़े को कबाड़ी को बेचकर ग्राम पंचायतों की आय हो रही है।